न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/180
दायरा तिथि : 25.04.2025
आदेश तिथि : 20-05-2025
प्रार्थी :–

निर्मलसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी छोटी दुदनी तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. नारायण लाल पुत्र सभाराम पहलोत जाति मेघवाल निवासी चामुण्डेरी तहसील बाली
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक 20-05-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर क्रमशः 589, 593 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.6900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 633 रकबा 0.5800 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.08.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख नाना को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/1087 दिनांक 06.05.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही इस हेतु इकलौता स्त्रोत है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्त्रोतों में से निकटतम है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता व अन्य वैकल्पिक रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	635	0.62 हैक्टर	बा.दो.	171X5=855 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	588/928	0.94 हैक्टर	बा.दो.	151X9=1359 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख नाना द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 151310/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी को रास्ता दिये बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश पारंगी ने वकालतनामा पेश किया। चूंकि तहसीलदार बाली से प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थी की भूमि में से नहीं देकर राजकीय सिवायचक भूमि से प्रस्तावित किया गया है। वकील अप्रार्थी प्रार्थी को राजकीय सिवायचक भूमि से रास्ता दिये से कोई आपत्ति पेश करना नहीं चाहते है क्योंकि इससे अप्रार्थी का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार ... 02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025/180

अमवान निर्मलसिंह बनाम नारायणलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर क्रमशः 589, 593 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.6900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर क्रमशः 589, 593 ,कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.6900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 635 रकबा 0.62 हैक्टर व खसरा नंबर 588/928 रकबा 0.94 हैक्टर में से **855+1359=2214 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 151310/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
635	0.62 हैक्टर	171X5=855 वर्गमीटर	16	13680X2=27360	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
588/928	0.94 हैक्टर	151X9=1359 वर्गमीटर	16	21744X2=43488	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
		कुल 2214 वर्गमीटर		कुल 70848/–रूपये	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 70848/– (अक्षरे सत्तर हजार आठ सौ अडतालीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकर्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/568-572

दिनांक : 21-05-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक निर्मलसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी छोटी दुदनी तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

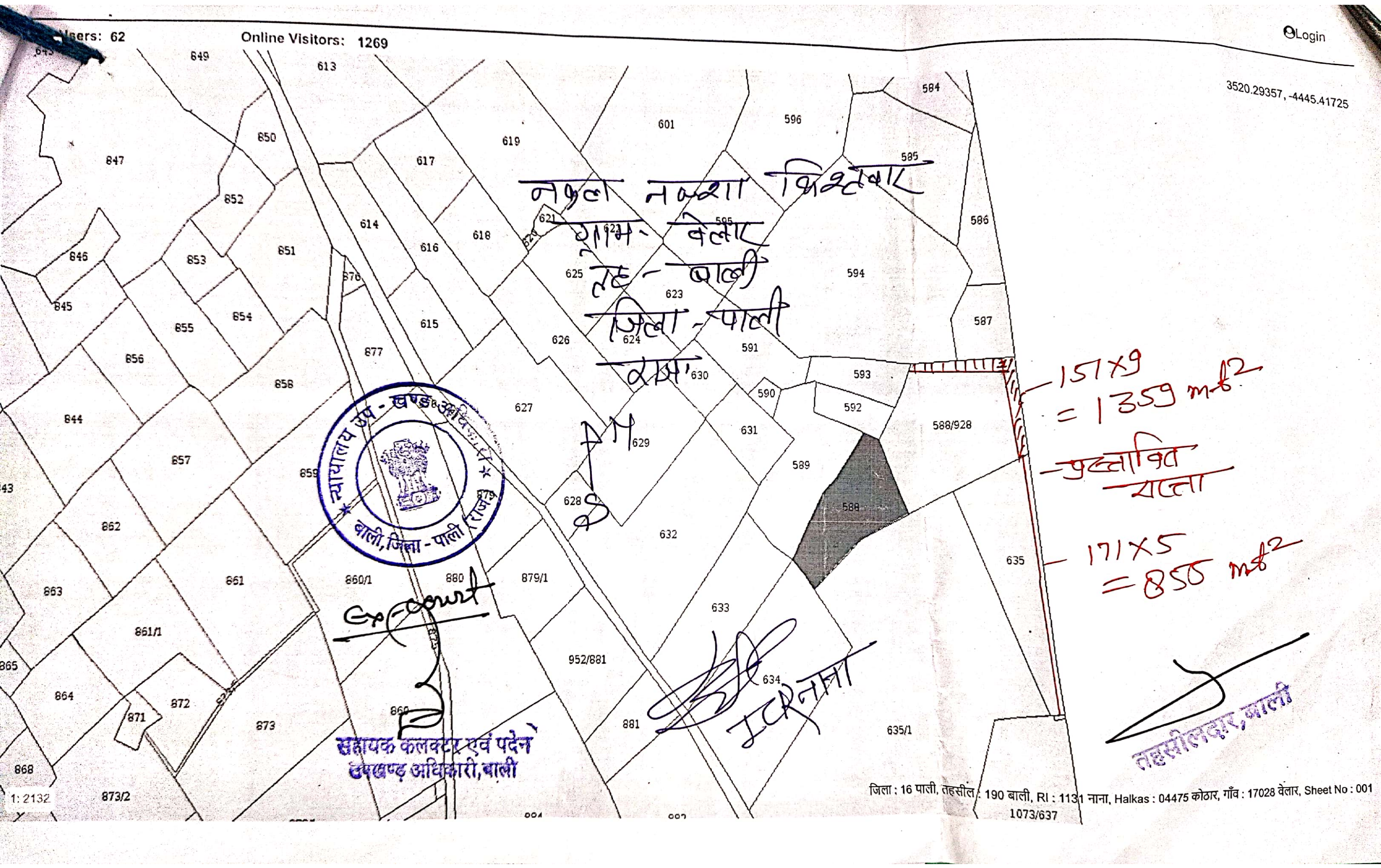

Scanned with CamScanner